

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / ए-24 / 2019 /

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,


जयपुर-प्रथम।

विषय:- श्रीमती अर्चना वर्मा, नर्स-2 के परिवीक्षाधीन अवधि में अनुपस्थित दिनांक का अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 11716 दिनांक 20.12.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती अर्चना वर्मा, नर्स-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा, जयपुर का असाधारण अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि उक्त कार्मिक का प्रोबेशन कब पूर्ण होगा एवं 149 दिवस तक कर्मचारी ने स्वयं की बीमारी/पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अनुपस्थिति रहना बताया है जबकि प्रोबेशन अवधि में चिकित्सा अवकाश देय नहीं है।

अतः इतने समय तक अनुपस्थित रहने पर आप द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, कि सूचना भिजवायें।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर


क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / ए-24 / 2019 / 148

दिनांक:- 5-2-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर